

# छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 198

प्रकरण क्रमांक- M-ALL-2025-022827

आवेदक : श्रीमती स्वर्णलता उपाध्याय, पति-श्री अजय उपाध्याय, पता-सी-53, ए.के.एस. स्मार्ट सिटी, पाहंदा रोड, अमलेश्वर, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (छ.ग.) विरुद्ध (1) ए.के.एस. इन्फ्राटेक (इंडिया) प्रा.लि., (डायरेक्टर-श्री कमल चंद जैन) पता-पंचम तल, रवि भवन, जयस्तंभ चौक, जिला-रायपुर (छ.ग.) (2) स्वर्णा इन्फ्राकॉन, (पार्टनर-श्री सिरिस सोनी), पता-312, तृतीय तल, समता शॉपिंग आर्केड, समता कॉलोनी, रामकुण्ड, जिला-रायपुर  
प्रोजेक्ट - "ए.के.एस. स्मार्ट सिटी" पता-ग्राम-पाहंदा, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
13/10/2025	<p>— प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>— आवेदिका द्वारा उनके पति श्री अनिकेत लहिरी उपस्थित।</p> <p>— अनावेदक क्रमांक-01 द्वारा अधिवक्ता श्री चन्द्रकांत पटाशकर उपस्थित।</p> <p>— अनावेदक क्रमांक-02 द्वारा अधिवक्ता श्री आदित्व वर्मा उपस्थित।</p> <p>आवेदक द्वारा आवेदन पत्र वास्ते प्रकरण की कार्यवाही में बल नहीं देना चाहते। प्रकरण समाप्त करने पेश कर आदेश में टिपांकित किया जाकर मौखिक रूप से निवेदन किया गया।</p> <p>आवेदिका के आवेदन/निवेदन के आधार पर प्रकरण खारिज किया गया। नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ दाखिल किया जावे।</p> <p>सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p>	<p>सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>